छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 14 (App.) / II-14-1/2016 (Steno.)　　　　　बिलासपुर, दिनांकः 5 जुलाई, 2017

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थीगण : –

स. क्र.	नाम (पिता/पति का नाम)	पता	वर्ग जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
1.	श्री रोहित शर्मा आ. श्री बनवारी शर्मा	क्षत्री बाजार, भूरे बाबा की बस्ती, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन–474 001	अनारक्षित
2.	कु. प्रियंका पिथवे आ. श्री किशोर पिथवे	1/बी, "प्रेमा" मानव लोक सोसायटी, रतन नगर, गुप्तेश्वर, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482 001	अनारक्षित (महिला)
3.	श्री आदर्श कुमार सिंह आ. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	स्टेनोग्राफर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ–इन्दौर, इन्दौर (म.प्र.) पिन–452 003	अनारक्षित
4.	श्री शफाकत जमाल आ. श्री जमालुद्दीन	36सी/6के, प्रकाश पुरम, करेली, इलाहाबाद (उ.प्र.) पिन–211016	अनारक्षित
5.	श्री रवि कुमार देवांगन आ. स्व. श्री टीकम चंद देवांगन	स्टेनोग्राफर, कार्यालय–आयुक्त, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति विकास विभाग, ब्लॉक–डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) पिन–492 002	अनारक्षित
6.	कु. निकिता जैन आ. श्री प्रवीण चन्द जैन	प्लॉट नं0 167, सरस्वती स्कूल के सामने, त्रिमूर्ति नगर, दमोह रोड, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482 002	अनारक्षित (महिला)
7.	श्री विनोद कुमार तिवारी आ. श्री कृष्णकान्त तिवारी	जी–394, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, शंकरशाह नगर, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482 001	अनारक्षित
8.	श्री अखिलेश ब्योहर आ. श्री राधेश ब्योहर	प्लॉट नं. 4ए, राजुल सिटी, गंगानगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482 003	अनारक्षित
9.	श्री सुमित चेतन अग्रवाल आ. श्री चेतन अग्रवाल	मुर्री रोड, सूरज चौक, गोंदिया (महाराष्ट्र) पिन– 441 601	अनारक्षित
10.	श्री पवन कुमार आ. श्री लाल जी	71ए/152ए, कृष्णा नगर, कैदगंज, इलाहाबाद (उ.प्र.) पिन–211 003	अनारक्षित
11.	कु. वैशाली सेन आ. श्री अयोध्या प्रसाद सेन	म.नं. 2079, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482002	अनारक्षित (महिला)
12.	कु. दीप्ती झा आ. श्री दामोदर झा	जीवाजीगंज, मथुरा प्रसाद का बाड़ा, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन–474001	अनारक्षित (महिला)
13.	श्री अरूण कुमार देवांगन आ. श्री लक्ष्मी चन्द्र देवांगन	कृष्णानगर, देवांगन मोहल्ला, जूना, बिलासपुर (छ.ग.) पिन–495 001	अन्य पिछड़ा वर्ग
14.	श्री प्रकाश कुमार आ. श्री राम लाल	द्वारा–श्री एस.एल. शर्मा, म.नं. 2/294, स्टेडियम रोड, भूतपूर्व पार्षद के मकान के पास, कोटा, रायपुर (छ.ग.) पिन–492 010	अन्य पिछड़ा वर्ग

को **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)** के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल 9 में (वेतनमान रुपये 9300-34800 + 4300/- G.P.) उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त किया जाता हैः–

(1) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हे परिवीक्षा पर माना जायेगा।

(2) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

(3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हे सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हे नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(4) यदि उनके द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिनों में अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

(5) उन्हे शपथ लेना होगा कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

(6) वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

(7) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा।

(8) उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(9) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।

(10) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(11) चयनित अभ्यर्थीगण कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर कि उन्होने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

(12) उपरोक्त चयनित अभ्यथियों की वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के सबसे अंतिम स्थान पर होगा और उनकी विभागीय वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उनके क्रम से शासित होगी।

(13) यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने

के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

(14) **"आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र. /1–3 दिनांक 29.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न)**

(15) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/–
(गौतम चौरड़िया)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां0 क्रमांक 5675 /
II-14-1/2016 (Steno.)

बिलासपुर, दिनांकः 05 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (विजिलेन्स/आई.एण्ड ई./कम्प्यूटराईजेशन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. डायरेक्टर (छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. एडिशनल रजिस्ट्रार (स्थापना/न्यायिक/प्रशासन/क्लासि.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. एडिशनल डायरेक्टर्स, (छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. ए.आर.–कम–पी.पी.एस., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. एडिशनल रजिस्ट्रार (चेकर/एस. एण्ड ए. सेल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार (स्था./कार्य), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. सहायक रजिस्ट्रार (लेखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
11. ओ.आई.सी., एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस आदेश को उच्च न्यायालय के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु,
12. अनुभाग अधिकारी (स्था./प्रोटोकॉल/कैश), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
13. सहायक (स्थापना/लेखा/अवकाश/प्रोटोकॉल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
14. **श्री रोहित शर्मा,** आ. श्री बनवारी शर्मा, क्षत्री बाजार, भूरे बाबा की बस्ती, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन–474 001
15. **कु. प्रियंका पिथवे,** आ. श्री किशोर पिथवे, 1/बी, "प्रेमा" मानव लोक सोसायटी, रतन नगर, गुप्तेश्वर, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482 001
16. **श्री आदर्श कुमार सिंह,** आ. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, स्टेनोग्राफर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ–इन्दौर, इन्दौर (म.प्र.) पिन–452 003
17. **श्री शफाकत जमाल,** आ. श्री जमालुद्दीन, 36सी/6के, प्रकाश पुरम, करेली, इलाहाबाद (उ.प्र.) पिन–211 016
18. **श्री रवि कुमार देवांगन,** आ. स्व. श्री टीकम चंद देवांगन, स्टेनोग्राफर, कार्यालय–आयुक्त, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति विकास विभाग, ब्लॉक–डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) पिन–492002

19. **कु. निकिता जैन,** आ. श्री प्रवीण चन्द जैन, प्लॉट नं0 167, सरस्वती स्कूल के सामने, त्रिमूर्ति नगर, दमोह रोड, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482 002

20. **श्री विनोद कुमार तिवारी,** आ. श्री कृष्णकान्त तिवारी, जी–394, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, शंकरशाह नगर, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482 001

21. **श्री अखिलेश ब्योहर,** आ. श्री राधेश ब्योहर, प्लॉट नं. 4ए, राजुल सिटी, गंगानगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482 003

22. **श्री सुमित चेतन अग्रवाल**, आ. श्री चेतन अग्रवाल, मुर्री रोड, सूरज चौक, गोंदिया (महाराष्ट्र) पिन–441 601

23. **श्री पवन कुमार,** आ. श्री लाल जी, 71ए/152ए, कृष्णा नगर, कैदगंज, इलाहाबाद (उ.प्र.) पिन–211 003

24. **कु. वैशाली सेन,** आ. श्री अयोध्या प्रसाद सेन, म.नं. 2079, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482002

25. **कु. दीप्ती झा,** आ. श्री दामोदर झा, जीवाजीगंज, मथुरा प्रसाद का बाड़ा, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन–474001

26. **श्री अरूण कुमार देवांगन,** आ. श्री लक्ष्मी चन्द्र देवांगन, कृष्णानगर, देवांगन मोहल्ला, जूना, बिलासपुर (छ.ग.) पिन–495 001 की ओर इस निर्देश के साथ कि वे इस उच्च न्यायालय की स्थापना में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने वर्तमान नियोक्ता से स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी.

27. **श्री प्रकाश कुमार,** आ. श्री राम लाल, द्वारा–श्री एस.एल. शर्मा, म.नं. 2/294, स्टेडियम रोड, भूतपूर्व पार्षद के मकान के पास, कोटा, रायपुर (छ.ग.) पिन–492 010

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(गौतम चौरड़िया)
रजिस्ट्रार जनरल